# न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

**पीठासीन अधिकारी जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्या : 13/2025 अपील**

**उनवान**

मैसर्स श्याम ईट उद्योग, नान्दशा तहसील सहाडा जरिये प्रोप्राईटर श्री राजमल पुत्र सोहनलाल खटीक निवासी मोड का निम्बाहेडा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा।

—अपीलार्थी

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मुकाम गांगपुर, जिला भीलवाड़ा।

—रेस्पोडेन्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 22.07.2025 प्रकरण संख्या 02/2025 न्यायालय तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर, जिला भीलवाडा।**

1. अधिवक्ता अपीलार्थी – सरिता स्वर्णकार उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

## निर्णय

दिनांक : 18/02/2026

1— अपीलार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि– ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आमली तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा में अपीलार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम नान्दसा में आराजी नं. 5055/4631 रकबा 0.6500 है0 भूमि अवस्थित है। जिसे अपीलार्थी ने ईंट–भट्टा उद्योग के लिये संपरिवर्तित करवाया हुआ है एवं विगत 2–2, 1/2 वर्ष से अपीलार्थी का ईट–भट्टा उद्योग संचालित हो रहा है। इसी जमीन के पास आराजी नं. 5064/4632 रकबा 1.3000 है0 भूमि बीड़ के रूपमें अवस्थित है। अपीलार्थी का ईंट उद्योग के लिये अपीलार्थी ने उक्त आराजी क्रय की थी एवं उसमें ईंट भट्टा लगाया जो अच्छी तरह चल रहा है, जिससे अपीलार्थी से कई व्यक्ति द्वेषता रखते है। चूंकि अपीलार्थी सहाडा तहसील क्षेत्र का निवासी नहीं होने के कारण अपीलार्थी को येन–केन–प्रकरण ग्राम नान्दसा में ईंटों का व्यवसाय चन्द व्यक्ति नहीं करने देना चाहते है, इस कारण अपीलार्थी से द्वेषतावश राजनैतिक दबाव हल्का पटवारी से मिलकर अपीलार्थी आराजी की आराजी के पास ही (सटी हुई) स्थित आराजी नं. 5064/4632 में 0.80 है0 में अतिक्रमण दर्शाकर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा में कार्यवाही प्रस्तुत कर दी। यहां यह उल्लेख करना भी सुसंगत होगा कि पूर्व में तो अन्य आराजी पर अतिक्रमण बताकर अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन कार्यवाही करवाई गई, जिसका अपीलार्थी द्वारा उत्तर दिये जाने पर अपीलार्थी